दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 05.08.2024

<u>वै.अ.(परि.न्या.) 235/2024</u>

पूनम एवं अन्य .....अपीलार्थीगण

द्वारा: श्री रजनीश मान और श्री शुभम अग्रवाल, अधिवक्तागण

बनाम

नेमो .....प्रत्यर्थी

द्वारा: कोई नहीं।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित बंसल

[भौतिक (प्रत्यक्ष) सुनवाई/हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध के अनुसार)]

<u>न्या. श्री अमित बंसल</u> (मौखिक)

1. वर्तमान अपील 1 जून, 2024 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 [संक्षेप में, "एचएमए, 1955"] की धारा 13ख (2) के तहत अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन, जिसमें दूसरे समावेदन के चरण में आपसी सहमति से तलाक प्राप्त करने के

लिए वैधानिक अवधि को माफ करने की मांग की गई थी, को खारिज कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, दूसरे समावेदन की याचिका भी खारिज कर दी गई।

2. अपीलार्थी संख्या 1 अर्थात सुश्री पूनम पत्नी है जबकि अपीलार्थी संख्या 2 अर्थात श्री नितिन राणा पति है। अपीलार्थीगण के बीच विवाह 1 दिसंबर, 2018 को हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार हुआ। इस विवाह से 10 जनवरी, 2020 को एक बेटी का जन्म हुआ। वैवाहिक मतभेदों के कारण, अपीलार्थीगण 1 फरवरी, 2022 को अलग हो गए और तब से अलग रह रहे हैं।

3. परिवार के सदस्यों के हस्तक्षेप से, अपीलार्थीगण ने अपने विवादों को सुलझा लिया और 20 जुलाई, 2023 को एक समझौता विलेख पर हस्ताक्षर किए।

4. समझौते के अनुसार, अपीलार्थी संख्या 2 ने स्थायी निर्वाह-व्यय के लिए पूर्ण और अंतिम समझौते के रूप में अपीलार्थी संख्या 1 को 20,00,000/- रुपये का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। इस बात पर भी सहमति हुई कि बच्चे की अभिरक्षा अपीलार्थी सं. 1 के पास रहेगी।

5. उक्त राशि अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 को 23 अगस्त, 2023 को विधिवत भुगतान की गई।

6. समझौते के मद्देनजर, अपीलार्थीगण ने आपसी सहमति के आधार पर तलाक की मांग करते हुए एचएमए, 1955 की धारा 13ख(1) के तहत एचएमए संख्या 1100/2024 के तहत पहली समावेदन याचिका के माध्यम से परिवार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। परिवार न्यायालय ने 23 जुलाई, 2024 के आदेश के माध्यम से पहले समावेदन को अनुमति दी।

7. 21 मई, 2024 को या उसके आसपास, अपीलार्थीगण ने एचएमए, 1955 की धारा 13 ख(2) के तहत एचएमए संख्या 1644/2024 के तहत दूसरी समावेदन याचिका दायर की, जिसमें विवाह विच्छेद की मांग की गई और साथ ही दूसरी समावेदन याचिका दायर करने के लिए छह महीने की वैधानिक अवधि में छूट की मांग की गई।

8. आक्षेपित आदेश के माध्यम से छूट हेतु आवेदन को खारिज कर दिया गया। छूट न देने में परिवार न्यायालय को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक यह तथ्य था कि अपीलार्थीगण ने न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए थे तथा मध्यस्थता या समाधान प्रक्रिया से नहीं गुजरे थे। इसलिए, परिवार न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं था कि पक्षकारगण ने सुलह के लिए पर्याप्त प्रयास किए थे।

9. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि अपीलार्थी सं. 1 को दुबई में काम करने का प्रस्ताव मिला है, जिसके लिए उसे तत्काल वहां

ज्वाइन करना आवश्यक है। इसलिए, अपीलार्थीगण छह महीने की वैधानिक अवधि में छूट चाहते हैं।

10. वर्तमान अपील 26 जुलाई, 2024 को इस पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जब अपीलार्थीगण को इस चरण में भी सुलह का प्रयास करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केंद्र [संक्षेप में, "मध्यस्थता केंद्र"] में मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।

11. मध्यस्थता कार्यवाही में, अपीलार्थीगण एक समझौते पर पहुंचे। दिनांक 2 अगस्त, 2024 का समझौता करार, जिस पर दोनों अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर हैं, अभिलेख पर रखा गया है।

12. समझौते के संदर्भ में, दोनों पक्षकारों ने स्वीकार किया है कि उनके बीच न सुलझने वाले मतभेद हैं तथा उनके बेहतरीन प्रयासों के बावजूद, सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। समझौता करार में यह भी दर्ज है कि अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 को पूर्ण एवं अंतिम समझौते के लिए 20,00,000/- रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

13. **अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर,** (2017) 8 एससीसी 746 में, उच्चतम न्यायालय ने एचएमए, 1955 की धारा 13ख(2) के तहत वैधानिक अवधि की छूट देने के लिए विचार किए जाने वाले कारकों को निर्धारित किया है। उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिए गए हैं:

*"**19.** वर्तमान स्थिति में उपरोक्त को लागू करते हुए, हमारा विचार है कि जहां किसी मामले से निपटने वाला न्यायालय संतुष्ट है कि धारा 13-ख(2) के तहत वैधानिक अवधि की छूट देने का मामला बनता है, वह निम्नलिखित पर विचार करने के बाद ऐसा कर सकता है:*

(i) धारा 13 ख (2) में निर्दिष्ट छह महीने की वैधानिक अवधि, पक्षकारगण के अलगाव की धारा 13-ख (1) के तहत एक वर्ष की वैधानिक अवधि के अतिरिक्त, पहले समावेदन से पहले ही समाप्त हो चुकी है;

(ii) पक्षकारगण को पुनः एकजुट करने के लिए आदेश 32-क नियम 3 सीपीसी/अधिनियम की धारा 23(2)/परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 9 के अनुसार किए गए प्रयास सहित मध्यस्थता/समाधान के सभी प्रयास विफल हो गए हैं और आगे किसी भी प्रयास से उस दिशा में सफलता की कोई संभावना नहीं है;

(iii) पक्षकारगण ने निर्वाह-व्यय, बच्चे की अभिरक्षा या पक्षकारगण के बीच किसी अन्य लंबित मुद्दे सहित अपने मतभेदों को वास्तविक रूप से सुलझा लिया है;

(iv) प्रतीक्षा कालावधि केवल उनकी पीड़ा को बढ़ाएगी।

छूट के लिए प्रार्थना के कारण बताते हुए पहले समावेदन के एक सप्ताह बाद छूट आवेदन दायर किया जा सकता है। यदि उपरोक्त शर्तें पूरी होती हैं, तो दूसरे समावेदन के लिए प्रतीक्षा कालावधि की छूट संबंधित न्यायालय के विवेक पर निर्भर होगी।"

14. वर्तमान मामले में, पक्षकारगण ने अपनी शादी की तारीख के तीन वर्ष से अधिक समय बाद पहला समावेदन दायर किया था। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मध्यस्थता की कार्यवाही पक्षकारगण को पुनः एकजुट करने में सफल नहीं रही है। पक्षकारगण के बीच हुए समझौता करार से

पता चलता है कि पक्षकारगण ने निर्वाह-व्यय और बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में अपने सभी मतभेद सुलझा लिए हैं।

15. इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि छह महीने की वैधानिक अवधि का पालन करने से उनकी परेशानी और बढ़ेगी।

16. यह मामला एचएमए, 1955 की धारा 13ख (2) के तहत निर्धारित छह महीने की वैधानिक अवधि में छूट देने के लिए उपयुक्त है।

17. तदनुसार, छूट आवेदन को खारिज करने वाले आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, एचएमए, 1955 की धारा 13ख(2) के तहत पक्षकारगण द्वारा दायर दूसरी समावेदन याचिका पुनः/प्रवर्तित मानी जाएगी।

18. पक्षकारगण 7 अगस्त, 2024 को परिवार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और परिवार न्यायालय दूसरी समावेदन याचिका पर उचित आदेश पारित करेगा।

19. लंबित आवेदनों के साथ अपील का निपटान किया जाता है।

अमित बंसल
(न्यायाधीश)

राजीव शकधर
(न्यायाधीश)

5 अगस्त, 2024
आरटी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*